रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2011/ज्येष्ठ 25, 1933
No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2011/JYAISTHA 25, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2011

सा.का.नि. 454 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा नियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230(अ), दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा *भारत के राजपत्र, असाधारण*, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 23 मार्च, 2011 में, उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 मार्च, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

तथा जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अत:, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2011 कहे जाएंगे।

(2) ये जुलाई, 2011 के पहले दिन से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में,—

(1) नियम-2 में;

(i) खण्ड (1क) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

'(1क)-किसी कर्मचारी के संबंध में "अभिदाय कालावधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से अभिप्राय उस कालावधि के दौरान उसे संदेय मजदूरी की कुल राशि को दिनों की संख्या, जिसके लिए ऐसी मजदूरी संदेय थी, से विभाजित करके प्राप्त राशि से है;';

(ii) खण्ड (7क) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

'7.क.-"मानक प्रसुविधा दर" से अभिप्राय अभिदाय कालावधि के दौरान संदत्त कुल मजदूरी को दिनों की संख्या, जिनके लिए मजदूरी संदत्त की गई थी, से विभाजित करने पर प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी से है;';

(2) नियम 52 में, "सत्तर रुपये" शब्द को "सौ रुपये" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) नियम 54 हटाया जाएगा;

(4) नियम-55 में, उप नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2).-किसी प्रसुविधा कालावधि के दौरान किसी व्यक्ति के संबंध में बीमारी प्रसुविधा की दैनिक दर तदनुरूपी अभिदाय कालावधि के दौरान उस व्यक्ति की मानक प्रसुविधा दर की अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित 70 प्रतिशत होगी।";

(5) नियम-56 में, उप-नियम (5) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5).-किसी प्रसुविधा कालावधि के दौरान होने वाले अथवा संभावित प्रसव के संबंध में संदेय प्रसूति प्रसुविधा की दैनिक दर तदनुरूपी अभिदाय कालावधि के दौरान बीमाकृत महिला के संबंध में मानक प्रसुविधा दर अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित अथवा पच्चीस रुपये, जो भी अधिक हो, के समान होगी।";

(6) नियम-57 में, उप नियम (3) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) निःशक्तता प्रसुविधा की दैनिक दर प्रसुविधा कालावधि जिसमें रोजगार चोट लगी है, की तदनुरूपी अभिदाय कालावधि में मानक प्रसुविधा दर की अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित 90 प्रतिशत होगी:

बशर्ते जहां किसी व्यक्ति के संबंध में पहली प्रसुविधा कालावधि के आरंभ होने से पूर्व रोजगार चोट लगती है, वहां निःशक्तता प्रसुविधा की दैनिक दर होगी-

(i) जहां कोई व्यक्ति उस अभिदाय कालावधि जिसमें चोट लगी है, में प्रथम मजदूरी कालावधि की समाप्ति के पश्चात् रोजगार चोट से चोटिल रहता है, वहां उस मजदूरी कालावधि में उसकी औसत दैनिक मजदूरी की, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित, 90 प्रतिशत होगी:

(ii) जहां कोई व्यक्ति उस अभिदाय कालावधि जिसमें चोट लगी है, में प्रथम मजदूरी कालावधि की समाप्ति से पूर्व रोजगार चोट से चोटिल रहता है, वहां उसकी अर्जित वास्तविक मजदूरी अथवा जो वह अर्जित करता, यदि वह दुर्घटना की तारीख को पूरे दिन काम करता, का अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित, 90 प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण:-उपरोक्तानुसार आंकलित निःशक्तता प्रसुविधा "पूर्ण दर" कही जाएगी;

(7) नियम-58 में, उप नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) आश्रित प्रसुविधा की दैनिक दर प्रसुविधा कालावधि जिसमें रोजगार चोट लगी है, की तदनुरूपी अभिदाय कालावधि में मानक प्रसुविधा दर का 90 प्रतिशत होगी:

बशर्ते किसी व्यक्ति के संबंध में पहली प्रसुविधा कालावधि आरंभ होने से पूर्व रोजगार चोट लगती है, तो आश्रित प्रसुविधा की दैनिक दर होगी :—

(i) जहां कोई व्यक्ति उस अभिदाय कालावधि जिसमें चोट लगी है, में पहली मजदूरी कालावधि की समाप्ति के पश्चात् रोजगार चोट से चोटिल रहता है, वहां उस मजदूरी कालावधि के दौरान उसकी औसत दैनिक मजदूरी का, अगले उच्च रुपये तक पूर्णांकित, 90 प्रतिशत ।

(ii) जहां कोई व्यक्ति उस अभिदाय कालावधि जिसमें चोट लगी है, में प्रथम मजदूरी कालावधि की समाप्ति से पूर्व रोजगार चोट से चोटिल रहता है, वहां अर्जित वास्तविक मजदूरी अथवा जो वह अर्जित करता, यदि वह दुर्घटना की तारीख को पूरे दिन काम करता, का अगले उच्च रुपये तक पूर्णांकित, 90 प्रतिशत ।

[सं. एस-38012/1/2011-सा.सु.-1]

रवि माथुर, अपर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229(अ) दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा पिछला संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2011

G.S.R. 454(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required by sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 230 (E), dated the 23rd March, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd March, 2011, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty

days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 23rd March 2011;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2011.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,—

(1) in rule 2,—

(i) for clause (1A), the following clause shall be substituted, namely: -

'(1A) "average daily wages during a contribution period" in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;';

(ii) for clause (7A), the following clause shall be substituted, namely :—

'(7A) "standard benefit rate" means average daily wages obtained by dividing the total wages paid during the contribution period by the number of days for which these wages were paid;';

(2) in rule 52, for the words "rupees seventy", the words "rupees one hundred" shall be substituted;

(3) rule 54 shall be omitted;

(4) in rule 55, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The daily rate of sickness benefit in respect of a person during any. benefit period shall be seventy per cent. of the standard benefit rate of that person during the corresponding contribution period rounded to the next higher rupee.";

(5) in rule 56, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) The daily rate of maternity benefit payable in respect of confinement occurring or expected to occur during any benefit period shall be equal to the standard benefit rate in respect of the insured woman during the corresponding contribution period, rounded to the next higher rupee, or rupees twenty-five, whichever is higher.";

(6) in rule 57, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The daily rate of disablement benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs, rounded to the next higher rupee :

Provided that where an employment injury occurs before commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of disablement benefit shall be—

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages in that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his wages actually earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee.

Explanation —The disablement benefit calculated as aforesaid shall be called the "full rate.";

(7) in rule 58, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The daily rate of dependant's benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of dependants' benefit shall be—

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages during that wage period rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of wages actually earned or which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee.".

[No. S-38012/1/2011-SS-1]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification number G.S.R. 229 (E), dated the 23rd March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.